न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–57/2016/भीलवाड़ा (2016/00003)

1. सत्तु पुत्र भज्जा माली, निवासी अरवड़, तह0 फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा।

अपीलांट

बनाम

1. मु0 कन्या पुत्री लादू माली, नि0 अरवड़, हाल निवासी माली खेड़ा, तह0 फुलिया कलां, जिला भीलवाड़ा ।
2. लादू पुत्र देबी माली, नि0 अरवड़, तह0 फुलिया कंला, जिला भीलवाड़ा । जिला भीलवाडा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फुलिया कंला, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 29.2.2016 अंतर्गत अपील संख्या 14./2015 .

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांक :– 21.6.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.22016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के न्यायालय में नायब तहसीलदार, फुलिया कलां द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.1.2015 नामांतकरण संख्या 678 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पो0 संख्या 1/अपीलांट के पिता लादू के खाते की ग्राम नई अरवड़ व पुरानी अरवड़ में साबिक आराजी नंबर 640 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नंबर 645 रकबा 7 बिस्वा, आराजी नंबर 840 रकबा 19 बिस्वा, आराजी

नंबर 841 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 861 रकबा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 862 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नंबर 901 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 909 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 910 रकबा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 911 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नंबर 747 रकबा 1 बीघा, आराजी नंबर 1320/1/806 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नंबर 1329/806 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा स्थित थी जिसके सेटलमेंट के बाद नये आराजी नंबर कायम हुए जो वर्तमान मे ग्राम नई अरवड में आराजी नंबर 231 रकबा 0.49 है0, आराजी नंबर 232 रकबा 0.12 है0, आराजी नंबर 344 रकबा 0.35 है0, व पुरानी अरवड में आराजी नंबर 82 रकबा 0. 24 है0 आराजी नंबर 83 रकबा 0.06 है0, आराजी नंबर 84 रकबा 0. 03 है0, आराजी नंबर 1380 रकबा 0.22 है0, आराजी नंबर 1382 रकबा 0.07 है0, आराजी नंबर 1207 रकबा 0.60 है0, आराजी नंबर 1208 रकबा 0.254 है0, आराजी नंबर 135 रकबा 0.38 है0, आराजी नंबर 136 रकबा 0.06 है0, आराजी नंबर 1361 रकबा 0.25 है0, आराजी नंबर 1379 रकबा 0.09 है0 बनाये गये । उक्त सभी आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 के दादाजी देबीलाल के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात थी जो उनके देहांत के बाद उनके लड़के लादु, भज्जा, माधु के नाम पर आयी जिसमें बंटवाडे के बाद रेस्पो0 संख्या 1 के पिता लादू के हिस्से में आराजी नंबर 344/670 रकबा 0.17 है0, आराजी नंबर 82/1816 रकबा 0.08 है0, आराजी नंबर 83/1819 रकबा 0.03 है0, आराजी नंबर 136 रकबा 0.06 है0, आराजी नंबर 1207 रकबा 0.61 है0, आराजी नंबर 1261/1821 रकबा 0.09 है0, आराजी नंबर 1380 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.26 है0 भूमि रही । रेस्पो0 संख्या 1 कन्या लादू की एकमात्र संतान है । लादू के कोई नर संतान नहीं है एवं अपीलांट की माता का भी निधन हो गया है । रेस्पो0 संख्या 1 मु0 कन्या के पिता लादू नशीले पदार्थ का सेवन करते है, लेकिन मु0 कन्या उनको ऐसा करने से मना करती रहती है इस कारण लादू ने मु0 कन्या रेस्पो0 संख्या 1 से नाराज होकर बातचीत करना बंद कर दिया तथा लादू विवादित आराजियात को हस्तातंरण करने पर आमादा हो गये इसलिये रेस्पो0 संख्या 1 मु0 कन्या ने उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में एक दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया व वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का भी पेश किया जिसमें दिनांक 21.1. 2015 को विवादित आराजियात के बाबत् रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है । रेस्पो0 संख्या 2 सत्तु ने मु0 कन्या के पिता लादू की वृद्धावस्था व नशे की लत का नाजायज फायदा उठाते हुए उनको बिना कुछ बताये विवादित आराजियात का दिनांक 30.12.2014 को अपने नाम बक्क्षीसनामा पंजीकृत करवा लिया तथा उक्त बक्क्षीसनामा के आधार पर सत्तु ने अपने नाम नामांतकरण संख्या 678 तस्दीक करा लिया। अतः अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1. 2015 को अपास्त किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 29.2.

2016 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1.2015 को अपास्त कर प्रकरण तहसीदलार, फुलियाकलां को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नामांतकरण निर्णित करे । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रकरण में बहस किये जाने में असमर्थता जाहिर किये जाने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि लादू पुत्र देबी के कोई पुत्र संतान नहीं थी मात्र एक पुत्री रेस्पो0 संख्या 1 मु0 कन्या है, जो वर्षो पूर्व हुए विवाह के पश्चात् ग्राम मालीखेड़ा तहसील फुलिया कलां में निवास करती है । अपीलांट, जो कि भज्जा का पुत्र है, ने ही लादू की सेवा सुश्रुषा की है तथा लादू के हिस्से की आराजियात पर कृषि कार्य भी अपीलांट ही करता चला आ रहा है एवं लादू का समस्त खर्चा उठाता है । लादू की पत्नि का स्वर्गवास हो चुका है । लादू ने अपीलांट की सेवा–सुश्रुषा से प्रसन्न होकर अपने हिस्से की आराजियात बाबत् दिनांक 30.12.2014 को अपीलांट के हक में रूबरू गवाहान के पंजीकृत बक्शीशनामा निष्पादित किया था जिसकी पालना में अपीलांट के नाम नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1.2015 को तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बक्शीशनामा को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना रेस्पो0 संख्या 1 को नामांतकरण संख्या 678 के विरूद्ध अपील करने का लोकस नहीं था । दिनांक 27.1.2015 को नायब तहसीलदार, फुलिया कलां द्वारा नामांतकरण तस्दीक करते समय उनके समक्ष कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया था । स्थगन आदेश जारी होने का समय महत्वपूर्ण नहीं होकर नामांतकरण अथोरिटी के समक्ष स्थगन आदेश की तामील होने का समय महत्वपूर्ण है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर नामांतकरण संख्या 678 को अपास्त करने में कानूनी भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि बक्शीशकर्ता लादू स्वंय जीवित है जिनके जीवनकाल में रेस्पो0 संख्या 1 में हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार कोई स्वत्व निहित नहीं हो सकते है, ना ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है । अधी0न्याया0 ने हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के विपरीत नामांतकरण को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी तथा मियाद प्रार्थना पत्र में असत्य एवं मनगढ़त कथन अंकित किये है जो स्वीकार योग्य नहीं थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपील को अंदर

मियाद शुमार करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के निर्णय के पैरा संख्या 2 व 5 में भी विरोधाभास है । अधी0न्याया0 को विवादित भूमि के संबंध में राजस्व वाद के विचाराधीन रहते नामांतकरण की अपील को ताफैसला नियमित राजस्व वाद स्थगित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1.2015 को अपास्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.2.2016 अपास्त किया जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । नायब तहसीलदार, फुलिया कलां ने पंजीकृत बक्शीशनामा दिनांक 30.12.2014 के आधार पर रेस्पो0 संख्या 2 लादू पुत्र देबी की आराजियात अपीलांट सत्तु पुत्र भज्जा के नाम नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1.2015 को तस्दीक किया है । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पुश्तैनी है तथा अधी0न्याया0के समक्ष बक्शीशकर्ता लादू स्वंय ने यह स्वीकार किया है कि अपीलांट ने धोखे से गोदनामा के बजाय बक्शीशनामा अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबधं में रेस्पो0 संख्या 1 मु0 कन्या ने अपीलांट लादू के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में नियमित राजस्व वाद संख्या 65/2015 पेश कर रखा है जो विचाराधीन है तथा उक्त वाद में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा ने दिनांक 21.1.2015 को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये थे । वाद संख्या 65/2015 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त विचाराधीन नियमित वाद में नायब तहसीलदार, फुलिया कलां प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1.2018 तस्दीक करते समय नायब तहसीलदार, फुलिया कलां के समक्ष किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश नहीं था, किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1.2015 को तसदीक किया गया है जबकि उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा का विचाराधीन नियमित वाद में दिनांक 21.1.2015 को स्थगन आदेश जारी किया गया था जिससे स्पष्ट है कि तथाकथित नामांतकरण संख्या 678 नियमित राजस्व वाद में स्थगन आदेश जारी होने के बाद खोला गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है। प्रकरण में जहां तक पंजीकृत बक्शीशनामे का प्रश्न है चूंकि विवादित भूमियां पुश्तैनी आराजियात है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 का जन्म से अधिकार है तथा रेस्पो0 संख्या 2 लादू ज्यादा से ज्यादा अपने हिस्से तक की आराजियात को बक्शीश कर सकता था ना कि संपूर्ण आराजियात को । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 29.2.2016 में नामांतकरण संख्या 678 को अपास्त करने तक अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है किन्तु प्रकरण नायब तहसीलदार,

फुलिया कलां को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नामांतकण निर्णित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के संबंध में दिये गये निर्देश उचित नहीं है क्योंकि अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली पर यह तथ्य आ चुका था कि विवादित आराजियात के संबंध में पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में नियमित राजस्व वाद संख्या 65/2015 विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को यह निर्देश देने चाहिये थे कि नियमित राजस्व वाद के निर्णय अनुसार नामांतकरण की कार्यवाही करे। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.2.2016 आंशिक रूप से संशोधन योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 571/206 (2016/00003) बउनवानी सत्तु बनाम मु0 कन्या को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 14/2015 बउनवान मु0 कन्या बनाम लादू में पारित निर्णय दिनांक 29. 2.2016 में आंशिक संशोधन किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार, फुलिया कलां को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के न्यायालय में विचाराधीन नियमित राजस्व वाद संख्या 65/2015 मु0 कन्या बनाम लादू के निर्णय अनुसार नामांतकरण की कार्यवाही करे तथा अधी0न्याया0 के शेष आदेश नामांतकरण संख्या 678 दिनांक 27.1.2015 को अपास्त करने संबंधी आदेश को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 21.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर